

**M.P. Road Development Corporation Ltd.****(M.P. State Highway Authority)**

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011**☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in**

पत्र क्र. 26056 / नसरुल्लागंज-कोसमी / पर्या / 2021
प्रति,

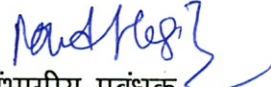
भोपाल दिनांक 29/7/2021

कलेक्टर
सिहोर
जिला सिहोर (म.प्र.)

विषय:- नसरुल्लागंज-कोसमी सड़क मार्ग बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) योजना अंतर्गत सड़क मार्ग में 0.45 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य करने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा नसरुल्लागंज-कोसमी सड़क मार्ग बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। मार्ग की कुल लंबाई 20.00 किमी. है, जिसमें से किमी. 17.00 से किमी 20.00 किमी. कुल लंबाई लगभग 4.00 किमी. का भाग वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। जिसमें वर्तमान में 5.5 मीटर एवं 2.5 मीटर शोल्डर दोनों तरफ कुल 10.5 मीटर विद्यमान है। वर्तमान में मार्ग में मिट्टी के धसाव के कारण मार्ग की स्थिति खराब हो जाती है। जिसके पुर्ननिर्माण के लिये 5.5 मीटर से डामरीकृत मार्ग को बढ़ाकर 7.00 मीटर की जा रही है। सड़क मार्ग का वन क्षेत्र में सीमेंट क्रांकिट का कार्य कर चौड़ीकरण करना प्रस्तावित है। जिसमें कुल 0.45 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी। जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव लगाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

अतः अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करेंगे। जिससे सड़क निर्माण के पूर्व की कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।


संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम
भोपाल